सप्तदश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-05.03.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री जनक सिंह, स०वि०स० श्री रामप्रवेश राय, स०वि०स० श्री कृष्ण कुमार मंटू, स०वि०स० डॉ० सी०एन० गुप्ता, स०वि०स०	''सारण प्रमंडल के तीनों जिलों गोपालगंज, सिवान एवं सारण को प्रभावित करने वाला तटबंध है सारण तटबंध । इसके पर्याप्त मजबूत नहीं रहने और क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण वर्ष 2017 एवं 2020 में गोपालगंज एवं सारण जिले में भीषण बाढ़ आयी जिससे सैकड़ों घर एवं दर्जनों सड़कें तहस-नहस हो गई । भविष्य को ध्यान में रखते हुए सारण तटबंध का मजबूतीकरण आवश्यक है । इसके लिए बोल्डर पिचिंग एवं ब्लैक टॉपिंग कराये जाने की आवश्यकता है । अत: बोल्डर पिचिंग एवं ब्लैक टॉपिंग कर सारण तटबंध का मजबूतीकरण किये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''	जल संसाधन

2\. श्री युसुफ सलाहउद्दीन, स०वि०स०
श्री मोहम्मद इसराईल मंसूरी, स०वि०स०
श्री शमीम अहमद, स०वि०स०
श्री समीर कुमार महासेठ, स०वि०स०
श्री रणविजय साहू, स०वि०स०
श्री सतीश कुमार, स०वि०स०
श्री अनिल कुमार साहनी, स०वि०स०
श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन, स०वि०स०
श्री अख्तारूल इस्लाम शाहीन,स०वि०स०
श्री राहुल तिवारी, स०वि०स०
श्री आलोक कुमार मेहता, स०वि०स०
श्री भाई वीरेन्द्र, स०वि०स०
श्री मोहम्मद कामरान, स०वि०स०
श्री ललित कुमार यादव, स०वि०स०

"बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना में शिक्षा अध्यक्ष द्वारा किये जा रहे मनमानी पूर्ण (मदरसा संख्या-107 के गठित प्रथम पक्ष प्रबंध समिति को हटा कर द्वितीय पक्ष को अवैध रूप से गठित कर दिया गया जो गलत है) कार्य, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन, अपने निकट संबंधी की अवैध बहाली एवं वित्तीय अनियमितता की जाँच हेतु शिक्षा विभाग के ज्ञापांक-1105, दिनांक-29.12.2020 द्वारा त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया था, जिसके जाँच प्रतिवेदन में दोषी पाए जाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई । साथ ही निगरानी विभाग के पुलिस अधीक्षक के पत्रांक-45, दिनांक-11.01.2021 द्वारा प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग को जाँच हेतु प्रेषित पत्र पर भी अध्यक्ष, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के विरूद्ध कार्रवाई नहीं की गई है । इससे राज्य के मदरसों में अराजक स्थिति हो गई है । पठन-पाठन भी प्रभावित हो रहा है ।

अत: अध्यक्ष, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के विरूद्ध प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं निगरानी विभाग के पुलिस अधीक्षक के उक्त पत्र पर उचित कार्रवाई करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"

राज कुमार सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-10/2021- 957 / वि०स०, पटना, दिनांक- 04 मार्च, 2021 ई० ।

प्रति:-बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / जल संसाधन विभाग तथा शिक्षा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4/3/21
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-10/2021- 957 / वि०स०, पटना, दिनांक- 04 मार्च, 2021 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

4/3/21
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।
4/3/21